संख्या-132/2020/1011/41-2020-136(बजट)/2018

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 03 जून 2020**

विषय:- विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण जनपद मेरठ स्थित गंगोल तीर्थ स्थल के पर्यटन विकास कार्य की प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6679/6-1-1(814)/मु0मं0घो0/2019-2020, दिनांक 04 मार्च , 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण जनपद मेरठ स्थित गंगोल तीर्थ स्थल के पर्यटन विकास कार्य की प्रायोजना हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा** गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या: 64/2019/273/41-2019-136(बजट)/2018 दिनांक 25 फरवरी 2019 द्वारा धनराशि रू0 89.03 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 22.26 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तदनन्तर शासनादेश संख्या: 146/2019/1360/41-2019-136(बजट)/2018 दिनांक 30 अप्रैल 2019 द्वारा रू0 44.52 लाख की धनराशि एवं शासनादेश संख्या: 197/2019/1889/41-2019-136(बजट)/2018 दिनांक 17 जुलाई 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 22.25 अवमुक्त की गई,जिसका उपयोग करते हुये कार्य पूर्ण होने की सूचना देते हुये जी0एस0टी0 के मद में रू0-10,63,360.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है

3- अत: उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव-क्रम में शासनादेश संख्या: 64/2019/273/41-2019-136(बजट)/2018 दिनांक 25 फरवरी 2019 द्वारा प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष जी0एस0टी0 के मद में जमा की गई धनराशि रू0-10,63,360.00 **(रूपये दस लाख तिरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या: 64/2019/273/41-2019-136(बजट)/2018 दिनांक 25 फरवरी 2019 , शासनादेश संख्या: 146/2019/1360/41-2019-136(बजट)/2018 दिनांक 30 अप्रैल 2019 एवं शासनादेश संख्या: 197/2019/1889/41-2019-136(बजट)/2018 दिनांक 17 जुलाई 2019 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के सुसंगत नियमों / प्राविधानों एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे ।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-544 /दस-2020 दिनांक 02 जून 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-132/2020/1011/41-2020-136(बजट)/2018 तद्दिनॉक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, मेरठ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसी0एल, लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता, यूपीपीसीएल, लखनऊ।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in